



**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बंगलोर  
MARATHAHALLI COLONY P.O.  
BENGALURU - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं. 1683/Type Approval No. 1683**

मद/FOR ITEM: जगुआर वायुयान हेतु ऑक्सिलरी पैराशूट पार्ट सं.जेएजी/एमबीईयू-5972पीए /  
Auxiliary Parachute for Jaguar Aircraft Part No. JAG/MBEU-5972 PA

यह प्रमाणित किया जाता है कि 16 बी आर डी, वायुसेना पालम, नई दिल्ली-110 010 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित “ऑक्सिलरी पैराशूट” पार्ट सं.जेएजी/एमबीईयू-5972पीए को जीए आरेखन सं. एडीआरडीई/1197-ए2 (ए), के अनुसार जगुआर वायुयान में उपयोग हेतु, उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। इसे आरसीएमए (कानपुर) के समन्वय से टेस्ट शेड्यूल सं.16बीआरडी/आईएससी/टीएस-119, दिनांक 27 अक्टूबर 2006 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट ‘ए’ में संलग्न “वर्गरिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेन्ट” में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

*This is to certify that the “Auxiliary Parachute” bearing the Part No. JAG/MBEU-5972 PA designed, developed and manufactured by 16 BRD, Air Force Palam, New Delhi-110 010 is hereby approved for production as per GA Drawing No.: ADRDE/1197-A2 (a), for use on Jaguar Aircraft. The product has been tested in co-ordination with RCMA (Knp) as per Test Schedule No.: 16 BRD/ISC/TS-119, Dt: 27<sup>th</sup> Oct 2006. It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix ‘A’.*

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सुपरसीड होती है । इसके उत्पादन के लिए अपनाई गई विधि को अब से सील कर दिया जाता है । उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए ।

*The Provisional Clearances accorded for this product are hereby-superseded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.*

3. यह वर्ग अनुमोदन **31 दिसम्बर 2016** तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाये और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा । विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के **तीन महीने** पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ **आर.सी.एम.ए (कानपुर), कानपुर** से अनुरोध करना होगा ।

*This Type Approval is valid up to 31<sup>st</sup> Dec 2016, unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Knp), Kanpur for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.*

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो **सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलेक), बेंगलूरु** की पूर्व सहमति लेनी होगी।

*Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes if any, in the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.*

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए **डी.जी.ए.क्यू.ए**, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष के क्लियरेंस निकासी एवं दर्शायी गई विधि के स्पष्ट रूप से कड़े अनुपालन पर आधारित है ।

*This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.*

संलग्न/Encl : परिशिष्ट-'ए'/Appendix-'A'

सं/No. : सेमिलेक /CEMILAC/5070/ टी ए/TA-1683

दिनांक/Date : 12 Oct 2011

फेक्स सं/Fax No: 080-25230856

  
12 Oct 11

  
12/10

  
(पी एस देशमुख/P. S. DESHMUKH)  
स्थानापन्न मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/  
Offg.Chief Executive (Airworthiness)